उनाध्याय की हत्या के आरोप से अभियुक्त व्यक्तियों को मुक्त करते हुए वाराणसी के विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियोग-साक्ष्य में कुछ कमियां बताई हैं। किन्तु उसने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल के तरीके के सम्बन्ध में कोई निन्दा नहीं की है।

(ख) से (घ). सत्र न्यायाधीश का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है जो इस बात पर विचार करेगी कि क्या दो अभियुक्त व्यक्तियों को मुक्त करने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की जाय।

नक्सलवादियों की गतिविधियां

875. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री व० ज्ञा० सुन्दर लाल :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री प० मु० सईद :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री हेम राज :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री श्री गोपाल साबू :
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री जय सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
डा० सुशीला नैयर :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री शिव चरण लाल :
श्री समर गुह :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री यशवन्त सिंह :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री देव राव पाटिल :
श्री नाथू राम अहिरवार :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री एम० एस० ओबराय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवादी साम्यवादी देश के अनेक भागों में अपनी गतिविधियों को तेजी से बढ़ा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या पिछले छः महीनों में देश में देखी गई नक्सलवादियों की गतिविधियों का एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक रख दिया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). 25 अप्रैल, 1969 के पिछले तीन महीनों की अवधि में उग्रवादियों द्वारा हिंसात्मक घटनाओं के बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT—1366/69] तब से असम, गुजरात, हरियाणा, मैसूर, नागालैंड, अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, गोवा, दमान व दीव, मनीपुर, नेफा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली, लक्कादिव, मिनीकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह, पाण्डिचेरी, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में उग्रवादियों की कोई हिंसात्मक गतिविधियां देखने में नहीं आई हैं। आन्ध्र प्रदेश में उग्रवादियों का श्रीकाकुलम, खम्मम, करीम नगर तथा वारंगल जिलों में सक्रिय होना बतलाया जाया है जबकि गन्टूर, नालगोंडा तथा विशाखापटनम् जिलों में भी कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं। 30 अप्रैल, 1969 को पंजाब में कुछ उग्रवादी चमकोर साहिब पुलिस स्टेशन पर गए और स्टेशन हाउस अफसर को पुलिस द्वारा एक उग्रवादी को तथाकथित पीटने एक डकैती का मामला दर्ज करने के लिए कहा। उन्होंने रिवाल्वर से गोलियां चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक कांस्टेबिल घायल हो गया। एक मामला दर्ज किया गया है और दोषी व्यक्तियों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया है। शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रतीक्षित है।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विधि-अनुसार कड़ी कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है।

केन्द्रीय सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिए उपयुक्त विधान अधिनियमित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में, संसद में राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श भी हो चुका है।

हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

876. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री सूरज भान :
श्री ओंकार सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री शारदा नन्द :
श्री अदिचन :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरयाणा के बहुत से विधायकों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पेश करके हरयाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसी लाल के विरुद्ध लगाये गए भ्रष्टाचार आदि के अनेक आरोपों की जांच करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है तथा इसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क). जी हां, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन मुख्य मंत्री, हरियाणा को टिप्पणी के लिए भेजा गया है।